झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001

(सभा द्वारा पारित)

[झारखण्ड अधिनियम 9/2001]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,
डोरण्डा, रांची द्वारा मुद्रित
2001

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

———

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001

(सभा द्वारा पारित)

[झारखण्ड अधिनियम 9/2001]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,
डोरण्डा, रांची द्वारा मुद्रित
2001

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001

(सभा द्वारा यथापारित)

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के द्वारा झारखण्ड राज्य के गठन के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य के अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि के गठन एवं अनुरक्षण हेतु अधिनियम ।

प्रस्तावना :—चूँकि, केन्द्र सरकार द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत अलग झारखण्ड राज्य का गठन किया गया है ।

और, चूँकि, यह आवश्यक है कि झारखण्ड राज्य में एक आकस्मिकता निधि के गठन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था की जाए और उक्त निधि को झारखण्ड राज्यपाल के अधीन रखा जाए, राज्य विधायिका द्वारा विधिवत् विनियोग प्राधिकृत होने तक, राज्य में होने वाले अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल द्वारा उक्त निधि से अग्रिम प्राधिकृत किया जा सकेगा,

और, चूँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड-2 के द्वारा राज्य की विधायिका को विधिवत् इस प्रकार की निधि के गठन की शक्ति प्रदान की गई है,

और, चूँकि, सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त झारखण्ड आकस्मिकता निधि का गठन जनहित में आवश्यक है,

और, चूँकि, झारखण्ड के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण झारखण्ड आकस्मिकता निधि का गठन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,

इसलिए भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

-' परिच्छेद :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

   (1) यह अधिनियम झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा ।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

2. निर्वचन-जब तक कि सदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

   इस अधिनियम में निधि से तात्पर्य है धारा-3 के द्वारा स्थापित झारखण्ड आकस्मिकता निधि,

   इस अधिनियम में 'राज्य सरकार' से तात्पर्य है, 'झारखण्ड राज्य सरकार' ।

परिच्छेद-II

3. झारखण्ड आकस्मिकता निधि की स्थापना :

   इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार झारखण्ड राज्य के लिए 'झारखण्ड आकस्मिकता निधि' नामक एक निधि की स्थापना करेगी जो झारखण्ड राज्यपाल के अधीन रखा जायेगा ।

4. राज्य की संचित निधि से 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) की रकम की निकासी एवं झारखण्ड आकस्मिकता निधि में उसका जमा किया जाना -

   इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार झारखण्ड राज्य की संचित निधि से एक सौ पचास करोड़ रुपये की रकम की निकासी करेगी और इसे निधि में जमा कर देगी ।

5. नियम बनाने की शक्तियां :—झारखण्ड राज्य सरकार विधि के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि नियमावली बना सकेगा ।

6. निरसन एवं व्यावृति—(1) झारखण्ड आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2000 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या 1,2000) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्य देश के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया था, की गई समझा जायगा, मानो यह अधिनियम इस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

यह विधेयक (झारखण्ड आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001) दिनांक 30 मार्च, 2001 के झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 30 मार्च, 2001 को सभा द्वारा पारित हुआ । यह एक धन विधेयक है ।

इन्दर सिंह नामधारी,

अध्यक्ष ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूं ।

प्रभात कुमार,

राज्यपाल, झारखण्ड ।

सच्ची प्रतिलिपि

अमापित टोप्पो,

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, रांची ।

झा०रा०मु० रांची (एस०ए०) 15—81—118-2001—शनि मुण्डा ।